कार्यालयः– प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

निविदा सूचना

निविदा सं0– 02 / स्थापना– 2016–17 दिनांक– 20.07.2016

छात्र–छात्राओं को छात्रावास से महाविद्यालय आने जाने तथा अन्य सरकारी कार्य यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाह्य श्रोतों से 32 सीट का मिनी बस हेतु राज्य सरकार परिवहन विभाग से निबंधित एजेन्सी / फार्मों / N.G.O. से तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में मुहर बन्द एवं पुनः उसे एक बड़े लिफाफा में मुहरबन्द–निबंधित / स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस निविदा के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन के अपराह्न 5:00 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। यदि 21 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बन्द रहता है तो उसके अगले दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद आने वाले प्रथम सोमवार अथवा अवकाश रहने पर अगला कार्य दिवस को प्राचार्य के कक्ष में क्रय समिति के द्वारा अपराह्न 1:00 बजे खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

1. कार्य का ब्योरा–बस का संचालन सुबह 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक करना है।
2. बस तीन वर्ष (30.06.2016 की तिथि तक) के अन्दर का जिला परिवहन कार्यालय में निबंधित हो एवं सब तरह से दुरूस्त हो। पर्यटन विभाग से निबंधित बस एवं अपेक्षाकृत नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. बस संचालन हेतु कर्मी, टैक्स, किसी प्रकार की मरम्मती निविदादाता को स्वयं करना होगा।
4. बस संचालन हेतु ईंधन महाविद्यालय द्वारा M.V.I द्वारा स्वीकृत ईंधन की खर्च के अनुरूप आपूर्ति किया जायेगा।
5. पूर्व में किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / परिवहन में कार्य अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. पूर्व में ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्य का ऑडिटेड प्रतिवेदन देने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. बस का संचालन अद्योहस्ताक्षरी के आदेशानुसार प्रतिदिन चालित होगा। किसी भी दिन परिचालन निविदादाता द्वारा बन्द होने पर एक हजार रूपये प्रतिदिन के दर से कटौती की जायेगी।
8. निविदा दो प्रकार की होगी।
9. तकनिकी निविदा में निविदादाता को एजेन्सी फार्म का परिवहन विभाग से उक्त वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता द्वारा वाहन पर दिये जाने वाले चालक का उम्र 35 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है। एकरारनामा के समय चालक से संबंधित विशेष अन्य कागजात जमा कराना होगा।

11. E.P.F. एवं Service Tax का स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है।
12. किसी न्यायालय में किसी प्रकार का सिविल/अपराधिक केश लम्बित न हो इस संबंध में प्रथम सत्र न्यायिक दण्डाधिकारी के सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति।
13. पैन कार्ड की छाया प्रति 3 वर्षों के रिटर्न के साथ।
14. अग्रधन राशि मो0– 30,000.00 (तीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति जो प्राचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के पदनाम से देय होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि का दर अनुमोदन पश्चात् जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा तथा अन्य निविदादाता की अग्रधन राशि लौटा दी जायेगी।
15. वाहन का रोड टैक्स के अदायगी का अद्यतन प्रमाण–पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
16. अद्योहस्ताक्षरी के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. किसी प्रकार के विवाद का निपटारा बेतिया के न्यायालय से होगा।
18. वित्तीय निविदा में प्रतिमाह 500 (पाँच सौ) किलोमीटर तक डिजल, मोबिल सहित का भाड़ा अंकित करना है, जिसमें सभी प्रकार का प्रभार सहित अंकित होना चाहिए।
19. निविदा कम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए, हस्तलिखित स्वीकार नहीं की जायेगी।
20. निविदादाता को काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
21. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. गाड़ी का पंजीकरण एवं बीमा संबंधी पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. कार्यालय के वेबसाइट www.gmcbettiah.org पर देखी जा सकती है।

(डॉ0 राजीव रंजन प्रसाद)
प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चमपारण।